संख्याः 2—20 / 2015—ई0एक्स0 एन0—एच0—स्थापना—भाग—2-26896
आबकारी एवं कराधान विभाग
हिमाचल प्रदेश
दिनांकः शिमला--9 22/10/2020

कार्यालय आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पीईआर(एपी) सी—बी 1/2019 दिनांक 22 अप्रैल 2020 की अनुपालना में विभागीय जांच समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अनुबंध आधार पर कार्यरत कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक जिन्होंने दिनांक 30.09.2020 को अनुबन्ध आधार पर (03) तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, को निम्नवर्णित नियम व शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करने की तिथि से वेतनमान Rs.5910-20200+2800 ग्रेड पे के अंतर्गत न्यूनतम वेतन रू0 8710 (5910+2800 ग्रेड पे) व देय भत्ते पर नियमित किया जाता है तथा मुख्यालय, राज्य कर एवं आबकारी शिमला—9 में तैनात किया जाता है :—

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी का पता	कर्मचारी की जन्म तिथि	अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति की तिथि तथा पदनाम (कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक तथा आशुलिपिक)
1.	श्री दीनानाथ, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	पुत्र श्री बेली राम गांव चारुंड, डा0 घणहट्टी, त0 शिमला जिला— शिमला	10.12.1986	26.04.2017

नियम व शर्तें:—

1. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के पद पर यह नियुक्ति दो वर्षो के लिए अस्थाई है।
2. कर्मचारी को सरकारी सेवा से एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताये पदच्युत किया जा सकता है। यह नोटिस सरकार तथा कर्मचारी किसी भी पक्ष द्वारा दिया जा सकता है। नियुक्ति करने वाले प्रधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उसकी सेवाओं को एक मास का वेतन भत्तों के समान राशि देकर भी समाप्त कर सकता है।
3. कर्मचारी को दो वर्षो की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करनी होगी।
4. कर्मचारी को यह शपथ ग्रहण करनी होगी कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता व ईमानदारी से करेंगे तथा भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ रहेंगे।
5. कर्मचारी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर की जा सकती है।
6. कर्मचारी की नियुक्ति विभाग के अंतर्गत उपक्रम हिमाचल प्रदेश बिवरेजिज लिमिटेड, में भी की जा सकती है।
7. कर्मचारी को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मूल रूप में उपस्थिति सूचना के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
8. कर्मचारी यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि यदि वह विवाहित है तो उसकी केवल एक ही पत्नी/पति है ।

9. कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा आधिकारी से अपनी स्वस्थता संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा तदोपरांत ही उनकी उपस्थिति ली जाएगी।
10. कर्मचारी की नियुक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत के सत्यापन पर निर्भर करेगी।
11. कर्मचारी किन्ही दो राजपत्रित अधिकारियों से जो उन्हें लगभग तीन वर्ष से जानते हों से अपने अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करेंगे।
12. यदि कर्मचारी आरक्षित वर्ग से सम्बध रखते हैं तो वह इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यदि उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव उम्मीदवार को स्वीकार्य हो तो उसे इस आदेश के जारी होने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर-2 अपनी उपस्थिति सूचना इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी ।

(रोहन चन्द ठाकुर)
आबकारी एवं कराधान आयुक्त,
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्याः 2-20/2015-ई0एक्स0 एन0-एच0-स्थापना-भाग-2- 26897-26906 22/10 2020
प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) को उनके कार्यालय पत्र संख्याः पीईआर(एपी) सी-बी 1-2019 दिनांक 22.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) हि0 प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), शिमला-03 को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. जिला कोषाधिकारी, राजधानी कोष शिमला-02 सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
6. बिल शाखा, कार्यालय राज्य कर एवं आबकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
7. आई0टी0 शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि यह कार्यालय आदेश शीध्र विभागीय साईट पर अपलोड किया जाए।
8. व्यक्ति विशेष/निजी नस्ति/गार्ड फाईल ।

(रोहन चन्द ठाकुर)
आबकारी एवं कराधान आयुक्त,
हिमाचल प्रदेश 21-10-21